30/03/12

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)।

वाद सं0 [illegible] /2007-08

धारा-143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट
ग्राम : मैगीनगला, परगना व
तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

सरकार बनाम सिद्धार्थ खन्ना आदि

## निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री सिद्धार्थ खन्ना पुत्र राजेश खन्ना निवासी 88 ए सिविल लाइन्स बरेली व गगनदीप सिंह बेदी पुत्र नरेन्द्र सिंह बेदी निवासी 223 माडल टाउन बरेली सचिव हरिकृष्ण एजूकेशन सोसाइटी ग्राम मैगी नगला तहसील फरीदपुर जिला बरेली ने दिनांक 29-01-2008 को एक प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट एवं उसके साथ संलग्न सग फ0-1409 से 1413 फ0 ग्राम मैगीनगला परगना व तहसील फरीदपुर के खाता सं0-07 गाटा सं0-99/2 रकबा 0.218, गाटा सं0-98मि0 रकबा 0.830, गाटा सं0-97 रकबा 0.689है0 लगान 26-70 पैसा का पूर्ण भाग। भूमि की उद्धरण खतौनी प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि संदर्भित भूमि पर कालेज बनवाने के उद्देश्य से कृषि भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहते है।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से करायी गयी तहसीलदार, फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 15-02-2008 द्वारा यह उल्लेख किया है कि खाता सं0-07 गाटा सं0-99/2 रकबा 0.218, गाटा सं0-98मि0 रकबा 0.830, गाटा सं0-97 रकबा 0.689है0 लगान 26-70 पैसा, का उपयोग कृषि कार्य बागबानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक औद्योगिक/आबादी हो गयी है को, धारा-143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी कृषि उद्यानकरण मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन से असंबद्ध प्रयोजन के लिये प्रयोग हो रही है। इसलिये तहसीलदार, फरीदपुर की आख्या दिनांक 15-02-2008 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को अकृषिक भूमि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

## आदेश

For Shri Hari Krishna Educational Society
President/Secretary

अतः उपरोक्त के आधार पर ग्राम मैगीनगला परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली स्थित आराजी खाता सं0-07 गाटा सं0-99/2 रकबा 0.218, गाटा सं0-98मि0 रकबा 0.830, गाटा सं0-97 रकबा 0.689है0 लगान 26-70 पैसा क्षेत्रफल को अकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0अधि0 की धारा-145 तद्विषयक नियमावली के नियम-137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते है कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरांत एक प्रति न्यायालय को वापस करे तदोपरांत खतौनी में प्रविष्ट हेतु पत्रावली तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 15-02-2008

(मुनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, फरीदपुर।